साल भर में दूसरा बड़ा हादसा, मानवीय भूल की वजह से हुआ हादसा

स्पेन में 2 हाई-स्पीड ट्रेनों में भीषण टक्कर 64 लोगों की मौत, 544 यात्री थे सवार

मौके पर तीन हैलिकॉप्टर तैनात किए, मैड्रिड, स्यूदाद रियल और अंदालूसिया रूट पर ट्रेन सेवाएं रोकी

● मैड्रिड / राज न्यूज़ नेटवर्क

स्पेन में दो हाई स्पीड ट्रेनों को आपस में टक्कर हो गई, जिसमें कम से कम 68 लोगों की मौत हुई है। 100 लोग घायल हुए। रिपोर्ट के अनुसार, टक्कर के बाद दो डिब्बे पटरी से उतरकर ढलान पर पलट गए। हादसा बुधवार सुबह स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे टोलेडो प्रांत के लॉस येबनेस और उर्डा शहरों के बीच हुआ।

हादसे के बाद मैड्रिड, स्यूदाद रियल और अंदालूसिया रूट पर ट्रेन सेवाएं रोक दी गई हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के हवाले से समाचार एजेंसी ने बताया कि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही थीं। इस दौरान एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के पिछले हिस्से से टकरा गई।

जिससे उसकी दो बोगियां पटरी से उतर गईं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने ट्रेन हादसे के प्रति दुख जताते हुए पीड़ितों के साथ एकजुटता जाहिर की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सांचेज ने लिखा कि वह टोलेडो में हुए गंभीर ट्रेन हादसे से स्तब्ध हैं। स्पेन में यह इसी साल में हुआ दूसरा बड़ा ट्रेन हादसा है।



मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है

आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। हादसा उरडा में रेलवे स्टेशन के पास हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आपातकालीन सेवाओं को मौके पर बुलाया गया। कास्तिया-ला मांचा की 112 आपातकालीन सेवा ने बताया कि अल्काजार दे सान हुआन और ऑर्गाज से दमकलकर्मियों को भेजा गया है। आसपास की नगरपालिकाओं से नागरिक सुरक्षा दल भी मौके पर तैनात किए हैं। इसके अलावा, तीन चिकित्सा हेलीकॉप्टर भी घटनास्थल पर भेजे गए हैं। ये दल हादसे में बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। साथ ही, पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। कास्तिया-ला मांचा की क्षेत्रीय सरकार की प्रवक्ता एस्तेर पडिया के दिए आंकड़ों के अनुसार, हादसे में शामिल दोनों ट्रेनों में कुल 544 यात्री सवार थे। स्पेन के समाचार पत्र 'एल पाइस' की रिपोर्ट के अनुसार, इर्यो ट्रेन में 146 यात्री और एक बच्चा सवार था। वहीं, रेनफे ट्रेन में 397 यात्री सवार थे।

कंप्यूटर सिस्टम हुआ फेल

परिवहन मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि शुरुआती संकेतों के मुताबिक, एवीई ट्रेन इर्यो ट्रेन के पीछे से टकराई हो सकती है। इस टक्कर के कारण इर्यो ट्रेन के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके बाद वे रेलवे लाइन के किनारे बनी ढलान पर जा गिरे। दो हाई-स्पीड ट्रेनों के बीच हुई जानलेवा टक्कर के लिए कंप्यूटर सिस्टम फेल होने के बाद रेलवे ऑपरेटर की ओर से हुई संभावित मानवीय चूक को जिम्मेदार ठहराया है।

जनवरी में भी हो चुका है हादसा

इसके पहले साल की शुरुआत में 18 जनवरी को दक्षिणी स्पेन में दो ट्रेनें आपस में टकरा गई थीं। उस हादसे में 45 लोगों की मौत हुई थी और 170 लोग घायल हुए थे। उस समय इरियो से मैड्रिड जा रही एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी। इसमें 300 लोग सवार थे। पटरी से उतरने के बाद यह दूसरी तरफ के ट्रैक पर आ गई थी। उसी दौरान मैड्रिड से ह्यूलवा जा रही दूसरी ट्रेन वहां से गुजरी और टक्कर हो गई। इस ट्रेन में 200 यात्री सवार थे।





यूएई के राष्ट्रपति ने गले लगाया

कैप्टन स्मित मच्छार को मिला यूएई का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायेद-2

कैप्टन स्मित के साथ-साथ क्रू मेंबर्स को भी किया गया सम्मानित

● आबूधाबी / राज न्यूज नेटवर्क

फ्लाईदुबई के कैप्टन मच्छार को दुबई के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद द्वितीय, फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया, जिन्होंने आसमान में मौत को मात देकर सैकड़ों बेकसूर जिंदगियां बचाई। समारोह में जब घायल हाथ में ब्रेस पहने कैप्टन स्मित क्रू के साथ पहुंचे तो हर आंख इस असली हीरो के जुनून, समर्पण को देखकर गर्व और सम्मान से भर गई। यूएई के राष्ट्रपति शेख मो. बिन जायद अल नाहयान ने तो कैप्टन मच्छार को गले से लगा लिया।

दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम और दोनों अमीरात के शाही परिवारों के सदस्य भी मौजूद थे। इस अवसर पर फ्लाईदुबई के कैप्टन के साथ साथ क्रू मेंबर्स को सम्मानित किया। ऑर्डर ऑफ जायेद-2 यूएई का एक प्रतिष्ठित नागरिक और सैन्य सम्मान है, जो देश और समाज के लिए असाधारण, साहसिक व उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों को प्रदान किया जाता है। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद ने क्रू सदस्यों को पदक सौंपते हुए कहा कि संकट के समय उनका साहस, जिम्मेदारी का अहसास और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता यूएई के विमानन क्षेत्र के उच्चतम मानकों को दर्शाती है।

आसमान में बचाई थी 174 यात्रियों और क्रू की जिंदगी

30 सितंबर को दुबई से तेल अवीव जा रही उड़ान के दौरान ओमान के को-पायलट ने ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां तबाह करने के इरादे से कॉकपिट में अचानक हमला कर दिया था। इस भयानक और खौफनाक स्थिति में भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार ने खुद गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अदम्य साहस और बेमिसाल सूझबूझ का परिचय दिया। दर्द से तड़पते हुए भी उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया जिससे क्रू मेंबर्स और यात्रियों ने तेजी से नीचे गिरते विमान में हमलावर को-पायलट को काबू में कर लिया। इसके बाद यूएई के अटॉर्नी जनरल डॉ. हमद सैफ अल शम्सी ने 9 अक्टूबर को एक बयान में बताया था कि इस घटना के आरोपी ओमानी सह-पायलट का इरादा ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाना था। वहीं, आपको बता दें कि पीएम मोदी और कैप्टन स्मित मच्छार को इजरायल से न्योता मिला है।

केरल में साइबर ठगी से बचने पुलिस ने जारी किया अलर्ट

तिरुवनंतपुरम, आरएनएन। केरल पुलिस साइबर विंग ने लोगों से मोबाइल पर फर्जी पॉप-अप संदेशों से अलर्ट रहने की अपील की है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि इन पर एक बार क्लिक करने से आपके पैसे और निजी जानकारी चोरी हो सकती है। उपयोगकर्ताओं को फोन अपडेट करने या वायरस हटाने का झांसा देकर उन्हें खतरनाक लिंक पर क्लिक करने को उकसाते हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे संदेश देखने में असली लगते हैं, लेकिन इन पर क्लिक करने से आपकी निजी जानकारी और बैंकिंग विवरण साइबर अपराधियों के हाथ लग सकते हैं।

स्वामी रामदेव बोले, हिंदू धर्म के चिंतन, भारतीय ज्ञान परंपरा का महाअनुष्ठान है अभा प्राच्यविद्या सम्मेलन

सनातन मूल्यों, हिंदू दर्शन और संस्कृत के संरक्षण-संवर्धन पर होगा तीन दिन मंथन

हरिद्वार, आरएनएन। भारतीय ज्ञान परंपरा, सनातन मूल्यों और हिंदू दर्शन की वैश्विक प्रासंगिकता को नई दिशा देने के उद्देश्य को लेकर आयोजित होने जा रहे 52वें अभा प्राच्यविद्या सम्मेलन की तैयारियां अंतिम दौर में है। सम्मेलन 29 से 31 अक्टूबर 2026 तक पतंजलि विवि, हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा। इसमें देश-विदेश के विद्वान प्राच्यविद्या, भारतीय दर्शन, संस्कृति, इतिहास, संस्कृत और भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध आयामों पर विचार-विमर्श करेंगे। योगगुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने मंगलवार को पतंजलि विवि के प्रशासनिक भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में होने जा रहे दिव्य और भव्य अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन के महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की।



स्वामी रामदेव ने कहा कि अभा प्राच्य विद्या सम्मेलन केवल एक अकादमिक सम्मेलन नहीं, बल्कि सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और प्राच्य ज्ञान परंपरा के चिंतन, संरक्षण एवं प्रसार का एक अहम अनुष्ठान है। उन्होंने कहा कि वेद, दर्शन, संस्कृत, आध्यात्मिक चिंतन और नैतिक मूल्यों से समृद्ध भारतीय ज्ञान परंपरा आज के वैश्विक समाज को भी दिशा देने की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शन की समत्वबुद्धि, धर्म, कर्तव्य और मानव कल्याण की अवधारणाएं सार्वकालिक हैं।

लंदन कोर्ट में रसेल ब्रांड ने रेप के आरोपों से इनकार किया

● लंदन / राज न्यूज नेटवर्क

कॉमेडियन और अभिनेता रसेल ब्रांड ने लंदन में चल रहे क्रीमिनल केस में अपने ऊपर लगे रेप के आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया। साउथवार्क क्राउन कोर्ट में पेश होते हुए, ब्रांड ने कहा कि उनके पूरे जीवन को इन आरोपों ने घेर लिया हैऔर उन्होंने स्थिति को समझने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। वकील इयान विंटर केसी द्वारा बुलाए जाने पर, ब्रांड ने कथित अपराधों को करने के बारे में पूछे जाने पर बार-बार नहीं कहा। इसके बाद उन्होंने 2000 के दशक के मध्य में अपनी प्रमुखता पर बात की। ब्रांड ने कहा, सहमति मौलिक, आवश्यक, जरूरी है, और कई मायनों में यौन संबंध से भी अधिक अहम है। एक शिकायतकर्ता के संबंध में, जिसने 1999 में बोर्नमाउथ में लेबर पार्टी सम्मेलन में मिलने के बाद रेप का आरोप लगाया था। ब्रांड ने कहा, मुझे उम्मीद थी कि कम से कम यौन संबंध की संभावना थी। उस समय 20 के दशक की महिला का दावा है कि एक कैबरे कार्यक्रम के बाद ब्रांड ने उसे बिस्तर पर धकेल दिया और उसके साथ रेप किया।

एनएफआर ने अमिनगाँव हेरिटेज स्टेशन पर पारंपरिक खेल केंद्र का उद्घाटन किया

रेल विरासत को संरक्षित करते हुए पारंपरिक खेलों का पुनर्जीवन

● मालीगांव / राज न्यूज नेटवर्क

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के जीएम चेतन कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को पुराने अमिनगाँव रेलवे स्टेशन विरासत स्थल पर एक पारंपरिक खेल केंद्र का उद्घाटन किया। एनएफ रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सौजन्य से विकसित यह अपनी तरह की पहली सुविधा है, जो एक ऐतिहासिक रेलवे प्लेटफॉर्म को पारंपरिक खेलों के लिए एक समर्पित केंद्र में बदल देती है।

यह पीएम नरेंद्र मोदी के विकास और विरासत को साथ लेकर चलने के विजन को दर्शाता है। केंद्र सरकार असम और पूर्वोत्तर के पारंपरिक खेलों जैसे धोपखेल, तांग-गुटी, पेंग खेल, कोरी-खेल, रोशी-



ताना, मणिपुर के मुकना और युबी लाकपी तथा मिजोरम का इनसुकनावम शामिल हैं। इस क्षेत्र के विभिन्न समुदायों से जुड़े ये खेल शारीरिक फुर्ती, आपसी जुड़ाव और जीवन-रक्षा कौशल का प्रतीक हैं। हालाँकि, आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण और मुख्यधारा के व्यावसायिक खेलों के बढ़ते दबदबे के कारण, इन खेलों में भाग लेने वालों की संख्या कम होती जा रही है। एनएफआरएसए की योजना इस केंद्र में पारंपरिक खेल गतिविधियां आयोजित करने और पारंपरिक खेलों को संरक्षित करने के लिए कार्यरत संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने की है। इस केंद्र का उद्देश्य इन खेलों के पुनरुद्धार के लिए एक समर्पित स्थान उपलब्ध कराना और राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं और आयोजनों को संभव बनाना है।

आज का इतिहास

- 1709: इंग्लैंड तथा नीदरलैंड ने फ्रांस विरोधी संधि पर हस्ताक्षर किए।
- 1794: फ्रांसिसी सेना ने दक्षिण पूर्वी नीदरलैंड के वेनलो पर कब्जा किया।
- 1851: बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना।
- 1859: स्पेन ने अफ्रीकी देश मोरक्को के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
- 1864: यूनान ने नया संविधान अंगीकार किया।
- 1913: मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर में बाढ़ से हजारों लोग मारे गये।
- 1920: पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के प्रयासों से जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना।

बुलेट ट्रेन स्टेशन के नीचे से पहली बार गुजरेंगी ट्रेनें

● अहमदाबाद / राज न्यूज नेटवर्क



अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के व्यापक पुनर्विकास एवं यार्ड रीमॉडलिंग कार्यों के अंतर्गत एक अहम उपलब्धि हासिल हुई है।

स्टेशन पर नवनिर्मित ब्रॉड गेज लाइन संख्या 16, 17 एवं 18, जो प्लेटफॉर्म संख्या 10, 11 एवं 12 से संबंधित हैं का रेल संरक्षा आयुक्त, पश्चिम सर्किल, मुंबई द्वारा संरक्षा निरीक्षण किया गया।

इस अहम निरीक्षण के साथ ही असारवा रेलवे स्टेशन एवं साबरमती ए केबिन के बीच नवनिर्मित ब्रॉड गेज बायपास लाइन (वाय-कनेक्टिविटी) का भी रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण किया गया। इन परियोजनाओं से अहमदाबाद क्षेत्र की रेल परिचालन व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी तथा भविष्य में ट्रेनों के सुचारू संचालन की क्षमता में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त अहमदाबाद रेलवे स्टेशन एवं कांकरिया डिपो के बीच पांचवीं रेल लाइन का विकास भी क्षेत्र की रेल परिचालन क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक अहम पहल है। इससे रेल ट्रैफिक के बेहतर प्रबंधन व उपलब्ध रेल अवसंरचना के प्रभावी उपयोग में मदद मिलेगी।

न्यायालय अपर तहसीलदार टप्पा सिमरोल तहसील डॉ अम्बेडकर नगर, महू जिला इंदौर म.प्र.

क्रमांक/441/री.अ.त. / 2026
सिमरोल, दिनांक 23/10/2026

उद्घोषणा

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री महेन्द्र पिता श्री पुरुषोत्तम पाटीदार, द्वारा ग्राम खरडाखेडा स्थित सर्व क्रमांक 40/1/1, 42/1/2, 43/2, 44/1/2 एवं 51, जिनका रकबा क्रमशः 0.870 हेक्टेयर, 0.130 हेक्टेयर, 0.473 हेक्टेयर, 0.079 हेक्टेयर एवं 0.664 हेक्टेयर है, की भूमि राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम दर्ज होने के आधार पर उक्त भूमियों का सीमांकन कराया गया था। सीमांकन के दौरान आवेदक की भूमि के कुछ भागों पर अनावेदकगण अमृतराव पिता बालकिशन, मोहम्मद आसिफ पति सज्जाद अली, श्रीमती चंद्रादेवी पति यशवंतसिंह राठौर, श्रीमती गंगादेवी पति श्री रामलाल राठौर तथा श्रीमती संतोषदेवी पति श्री श्यामलाल राठौर का अवैध आधिपत्य पाया गया है। उक्त भूमि का कब्जा दिलाए जाने हेतु आवेदक श्री महेन्द्र पिता श्री पुरुषोत्तम पाटीदार द्वारा मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः संबंधित भूमिस्वामियों एवं अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उक्त प्रकरण के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत करनी हो अथवा अपना जवाब प्रस्तुत करना हो, तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण क्रमांक 0029/अ-70/2026-27 में नियत पेशी दिनांक 02-11-2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति अथवा जवाब प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात प्रस्तुत की गई आपत्तियों अथवा जवाब पर विचार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 23.10.26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी।

अपर तहसीलदार
टप्पा सिमरोल, तहसील महू, जिला इंदौर

न्यायालय अपर तहसीलदार टप्पा सिमरोल तहसील डॉ अम्बेडकर नगर, महू जिला इंदौर म.प्र.

क्रमांक/439/री.अ.त. / 2026
सिमरोल, दिनांक 23/10/2026

उद्घोषणा

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सुनील मेहता पिता मनोहर सिंह मेहता, द्वारा ग्राम खरडाखेड़ा स्थित सर्व क्रमांक 42/1/1, 44/1/1. 43/1 एवं 56/1/3 जिनका रकबा क्रमशः 0.210 हेक्टेयर, 0.079 हेक्टेयर, 0.393 हेक्टेयर एवं 2.810 हेक्टेयर है, की भूमि राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम दर्ज होने के आधार पर उक्त भूमियों का सीमांकन कराया गया था। सीमांकन के दौरान आवेदक की भूमि के कुछ भागों पर अनावेदक अमृतराव पिता बालकिशन, का अवैध आधिपत्य पाया गया है। उक्त भूमि का कब्जा दिलाए जाने हेतु आवेदक श्री सुनील मेहता पिता मनोहर सिंह मेहता द्वारा मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः संबंधित भूमिस्वामियों एवं अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उक्त प्रकरण के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत करनी हो अथवा अपना जवाब प्रस्तुत करना हो, तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण क्रमांक 0028/अ-70/2026-27 में नियत पेशी दिनांक 02-11 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति अथवा जवाब प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात प्रस्तुत की गई आपत्तियों अथवा जवाब पर विचार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 23.10.26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी।

अपर तहसीलदार
टप्पा सिमरोल, तहसील महू, जिला इंदौर

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड
(CIN: L65922RJ2011PLC034297) पंजीकृत एवं निगमित कार्या.: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020

Aavas UNLOCKING LIVES SAPNE AAPKE, SAATH HAMAARA

कब्जा नोटिस

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता **आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002'' की धारा 13 (12) और सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मांग सूचना पत्र जारी किया गया। नीचे तालिका में उनके सामने दर्शाए अनुसार राशि का मांग पत्र प्राप्ति के 60 दिन के अंदर भुगतान करने की मांग की गयी। यह है कि ऋणी सम्बंधित राशियों का भुगतान करने में विफल रहे अतः ऋणीयों तथा आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट की धारा 13(4) सहपठित नियम 9 के नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य तालिका में उनके सामने दर्शाई गई दिनांक को ग्रहण कर लिया है। ऋणियों व जमानतियों को विशिष्टया तथा सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्तियों के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। इन सम्पत्तियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार निम्न खातों के सामने दर्शाई गई बकाया राशि तथा उन पर ब्याज व खर्चों के लिए आवास फाइनेंस **आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड** के प्रभार के अध्यधीन होगा।

ऋणी का नाम	धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख एवं प्रकार
अनूप सिंह, आशाबाई सिंह जमानतदार : मेम्बर सिंह खाता सं. 151205400234315 व 181205400734344	11 अगस्त 2026 ₹ 347958/- व ₹ 169885/- 10 अगस्त 2026	भूमि सर्वे नं. 230/4 के भाग का एक मकान/प्लॉट, गांव-काटबदोद, तहसील-तारण, जिला-उज्जैन, मध्य प्रदेश 456665 **क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर**	सांकेतिक कब्जा दिनांक 26 अक्टूबर 2026
लीला एलबाई, राजेश जी, बने बीसिंह जमानतदार : रमेश कच्छावा खाता सं. 191216001279884	6 अगस्त 2026 ₹ 556303/- 4 अगस्त 2026	म.नं. 731, पी.एच. नं. 30, गांव झिरनिया पर स्थित, तहसील घटिया, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश 456006 **क्षेत्रफल 155.66 वर्ग मीटर**	सांकेतिक कब्जा दिनांक 26 अक्टूबर 2026
स्व. श्री माना सिंह जरिए उनके विधिक उत्तराधिकारी श्रीमती भायक बाई वर्मा, श्री राजेश वर्मा, राजेश वर्मा, भायग बाई वर्मा जमानतदार : मोहन लाल खाता सं. 201205401521857	6 अगस्त 2026 ₹ 381074/- 4 अगस्त 2026	पी.एच. नं. 103, भूमि क्र.सं. 851/1 का भाग, आर. एन.एम. सर्किल 2, ग्राम खेड़ाखजुरिया, तहसील महीदपुर, उज्जैन मध्य प्रदेश 456443 **क्षेत्रफल 1462.5 वर्ग फीट**	सांकेतिक कब्जा दिनांक 26 अक्टूबर 2026
रघुवीर सिंह, सुरतकंवर, सुरतकंवर जमानतदार : दरबार सिंह पंवार खाता सं. 161205400403401	6 अगस्त 2026 ₹ 450288/- 4 अगस्त 2026	पीएचएन 34/74, एलएसएन 189/7/11, आर.एन. सी 02, ग्राम ताजपुरा गांव पंचायत भीम खेड़ा तहसील महीदपुर, जिला उज्जैन मध्य प्रदेश 456443 **क्षेत्रफल 600 वर्ग फीट**	सांकेतिक कब्जा दिनांक 26 अक्टूबर 2026
स्व. श्रीमती गोदावरी बाई जरिए उनके विधिक उत्तराधिकारी श्रीमती ज्योति सोलंकी, स्व. श्री चुन्नी लाल साहू जमानतदार : अभय जैन खाता सं. LNHRT02918-190075667	8 फरवरी 2024 ₹ 445071/- 6 फरवरी 2024	सर्वे नं. 4243 जिला खाचरौद उज्जैन (म.प्र.) 456224 **क्षेत्रफल 47.379 वर्ग मीटर**	भौतिक कब्जा दिनांक 23 अक्टूबर 2026
नेपाल सिंह यदुवंशी, संगीता बाई, देवी सिंह यदुवंशी, बाली बाई खाता सं. 241216003545023	6 अगस्त 2026 ₹ 248322/- 4 अगस्त 2026	एक आवासीय मकान नं. 17, पीएचएन नं. 28, ग्राम सलारिया, तहसील-सुसनेर, जिला-आगर मालवा, मध्य प्रदेश **क्षेत्रफल 925 वर्ग फीट**	सांकेतिक कब्जा दिनांक 27 अक्टूबर 2026
दिलीप सिंह, शंकर सिंह चौहान, हेमकुवर चौहान जमानतदार : शिवसिंह चौहान खाता सं. 241216003560824	6 अगस्त 2026 ₹ 375979/- 4 अगस्त 2026	एक आवासीय मकान नं. 17/1, पीएचएन. 57, वार्ड नं. 05, ग्राम मदकोटा, तहसील-बड़ोद, जिला-आगर मालवा, मध्य प्रदेश **क्षेत्रफल 1300 वर्ग फीट**	सांकेतिक कब्जा दिनांक 27 अक्टूबर 2026
जगदीश, देवी सिंह सिसोदिया, सुशीलाबाई सुशीलाबाई खाता सं. 241216004509295	6 अगस्त 2026 ₹ 516710/- 4 अगस्त 2026	एक आवासीय मकान नं. 08, पी.एच. नं. 43, सर्वे नं. 203, वार्ड नं. 01, ग्राम छारदा, नलखेड़ा, जिला-आगर मालवा, मध्य प्रदेश **क्षेत्रफल 1463 वर्ग फीट**	सांकेतिक कब्जा दिनांक 27 अक्टूबर 2026

दिनांक : 29-10-2026 — प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय छठा तल, बी बिल्डिंग, गंगा ट्रूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014
शाखा कार्यालय इकाई: प्रथम तल, एसपी टावर, रवींद्र नगर, जवाहर मार्ग, खरगोन, मध्य प्रदेश 451001,

ई-नीलामी - बिक्री सूचना
सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित अचल संपत्तियों का बिक्री

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित।

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर(यों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां **गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे अधिनियम के अनुसार आगे ''सुरक्षित लेनदार'' कहा जाएगा)** को गिरवी रखी गई हैं, जिसका कब्जा **अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत** सूचना के अनुसरण में सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है। सुरक्षित संपत्तियाँ **''जहाँ है जैसी है'', ''जैसी है वैसी है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर 30-11-2026** को ई-नीलामी के माध्यम से बेची जाएँगी। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हम **https://www.bankeauctions.com** वेबसाइट पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे हैं।

बिक्री की विस्तृत नियम व शर्तों के लिए, कृपया **GHFL/सुरक्षित ऋणदाता** की वेबसाइट **www.grihumhousing.com** पर दिए गए लिंक का संदर्भ देखें।

सं. क्र.	प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम (ए)	मांग सूचना तिथि एवं बकाया राशि (बी)	कब्जे की प्रकृति (सी)	संपत्ति का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	ईएमडी जमा करने की तिथि (जी)	वृद्धिशील बोली (एच)	संपत्ति निरीक्षण का दिनांक एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि और समय (जे)	ज्ञात भार/न्यायालयीन मामले, यदि कोई हों (के)
1	ऋण खाता संख्या: HF0539H21100054 एकनाथ परमार (उधारकर्ता) भगवती परमार (सह-उधारकर्ता)	**नोटिस की तारीख:** 09-01-2026 **कुल बकाया: रु. 6,08,430/-** (छह लाख आठ हजार चार सौ तीस रुपये मात्र), दिनांक 09-01-2026 तक, 16.6% वार्षिक ब्याज सहित, वसूली होने तक।	भौतिक	संपत्ति का वह सारा भाग जो मकान नंबर 273 वार्ड नंबर 02 पी. एच.एन. 31 ग्राम मगरलोडी तहसील कसरावद जिला खरगोन (म.प्र.) है, साथ में सभी चल और प्राप्य, सभी मौजूदा इमारतें और संरचनाएं और इमारतें और संरचनाएं जो कि संबंधित बंधक की तिथि से/के बाद किसी भी समय वहां बनाई/निर्मित की जा सकती हैं और इसके सभी परिवर्धन और सभी जुड़नार और फर्नीचर जो भूमि से जुड़े हैं या स्थायी रूप से धरती से जुड़ी किसी भी चीज से बंधे हैं, वर्तमान और भविष्य दोनों और निम्नानुसार घिरे हुए हैं:- पूर्व श्री महेंद्र अड्डू का घर, पश्चिम कॉमन वे, उत्तर कॉमन वे, दक्षिण कॉमन वे। माप: पूर्व से पश्चिम 30 फीट, उत्तर से दक्षिण 30 फीट, कुल क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट (83.64 वर्ग मी), ग्राउंड फ्लोर पर बिल्ट अप एरिया 900 वर्ग फीट (83.64 वर्ग मी)	रु. 5,51,250.00/- (केवल पांच लाख इक्यावन हजार दो सौ पचास रुपये)	रु. 55,125.00/- (केवल पचपन हजार एक सौ पच्चीस रुपये)	27-11-2026 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	23-11-2026 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	30-11-2026 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	निरंक

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित ऋणदाता शाखा और नीलामी संपत्तियों पर जाएँ, अपनी स्वयं की जाँच करें और अतिरिक्त शुल्क, भार और किसी भी तृतीय-पक्ष के हितों का पता लगाएँ और बोली जमा करने से पहले सभी पहलुओं से स्वयं संतुष्ट हो लें। संपत्ति कर, बिजली/पानी के बिल और संपत्ति से जुड़े अन्य सभी बकाया, यदि कोई हों, जैसे सभी वैधानिक बकाया, सफल बोलीदाता द्वारा पता लगाकर चुकाए जाने चाहिए।

इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा और नीलामी सेवा प्रदाता (सी। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) पता- प्लॉट संख्या-68, तीसरी मंजिल, गुड़गांव, हरियाणा-122003। हेल्पलाइन नंबर-7291981124,25,26 सहायता ईमेल आईडी-**Support@bankeauctions.com, संपर्क व्यक्ति-विनोद चौहान, ईमेल आईडी-delhi@c1india.com संपर्क नंबर-9813887931** से लॉगिन आईडी और पासवर्ड, जो ई-बोली के लिए अनिवार्य है, पहले ही प्राप्त कर लेना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि संभावित बोलीदाता तभी से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक खरीदार/बोलीदाता को बयाना राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी। एनईएफटी/आरटीजीएस ''गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड-नीलामी आय खाता,'' बैंक-आईसीआईसीआई बै